Form No. III
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

शंकरलाल बनाम **सरकार वगैराह**

किस्मा मुकदमा **विविध प्रार्थना—पत्र** नं0 **030** सन् **2012**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांक 07.11.2012 से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जा चुकी है। हाजिर वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिस एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। मूल वाद संख्या 18/2012 निर्णय दिनांक 08.08.2012 अदम हाजरी में खारीज किया गया है। प्रकरण जायदाद से संबंधित है ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणाव गुण पर निर्णित किया जाना ही न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 जा0दी को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 जा0दी को स्वीकार किया जाता है एवं मूल प्रकरण संख्या 18/2012 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण को पुनः प्रकरण संख्या 18/2012 पर दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल वाद संख्या 18/2012 के साथ हम किता रहें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official – ह0 – (विनोद कुमार) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़	